यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** के माह **10/2019** से माह **12/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, स.ले.प.अ. (तदर्थ) द्वारा दिनांक **29.01.2021** से **05.02.2021** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सन्तोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **24.10.2019** से **05.11.2019** तक श्री राजबहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2015** से **09/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **10/2019** से **12/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल जिले के चम्बा, जौनपुर तथा थौलधार विकास खण्ड शामिल हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2018-19	2.770	62.279	232.175	220.239	14.706	1735.623	1679.231	123.677
2019-20	14.706	123.671	248.470	248.790	14.386	2279.493	2019.164	384.000
2020-21 (upto 12/2020)	14.386	384.000	56.46	57.816	13.030	984.980	853.803	515.177

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

योजना का नाम	2018-19			2019-20			2020-21 (Upto 12/2020)		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
NRDWP	221.289	642.1	707.2	156.184	1127.2	1283.4	0.000	0.000	0.000
Jal Jeevan Mission	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	617.270	617.270

(धनराशि ` लाख में)

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम→मुख्य अभियन्ता→ अधीक्षण अभियन्ता→ अधिशासी अभियन्ता** ।

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2020** (व्यय) तथा **11/2020** (आय) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना से संबन्धित निर्माण कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 1 : रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान तथा क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण शासन को `1,24,851/- के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1998/VII-1/2018/80-ख/18 दिनांकित 14.02.2018 के द्वारा उपखनिजों की निकासी हेतु निम्नानुसार संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क निर्धारित किए गए हैं:-

(i) रॉयल्टी
(ii) स्टाम्प शुल्क – रॉयल्टी का 2 प्रतिशत
(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान – रॉयल्टी का 25 प्रतिशत[1]
(iv) क्षतिपूर्ति – रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा लेखापरीक्षा अवधि (10/2019 से 12/2020) के दौरान सम्पादित कराये गये सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से `**2,97,264/-** की रॉयल्टी की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में निम्नानुसार जमा कराई गई थी:-

धनराशि (`में)

क्र.सं.	चालान संख्या	दिनांक	जमा कराई गई रॉयल्टी की धनराशि
01.	048	05.12.2019	53299
02.	049	05.12.2019	48686
03.	052	06.02.2020	10024
04.	053	06.02.2020	13090
05.	030	05.03.2020	18108
06.	035	05.03.2020	2395
07.	020	06.06.2020	30418
08.	021	06.06.2020	13240
09.	094	13.07.2020	43859
10.	055	04.12.2020	50254
11.	047	05.12.2020	13891
		कुल	**2,97,264**

अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी की तो कटौती की गई थी परन्तु शासनादेशानुसार उपरोक्त रॉयल्टी पर 2

[1] उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार

प्रतिशत स्टाम्प शुल्क `5,945/- तथा 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति `44,590/-; इस प्रकार कुल `50,535/- की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराई गई थी।

इसी प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त शासनादेश तथा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान `74,316/- की कटौती करके जिला स्तर पर खोले गये जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बैंक खाते[2] में जमा नहीं कराई गई थी।

इकाई द्वारा संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान तथा क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण शासन को कुल `1,24,851/- के राजस्व की हानि हुई है जोकि इकाई द्वारा शासनादेशों/नियमों के अनुपालन में बरती जा रही लापरवाही को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित आदेश उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त कटौतियाँ नहीं की गई थीं। इकाई ने आगे बताया कि इस सम्बंध में संबन्धित ठेकेदारों के आगामी बिलों से उक्त धनराशि `1,24,851/- की वसूली कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष/बैंक खाते में जमा करा दी जायेगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि उपरोक्त शासनादेश/नियमावली संबन्धित विभागों को प्रेषित किए गए थे। इकाई द्वारा भुगतान के समय ही उपरोक्त कटौतियाँ न करने के कारण शासन को समय पर राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई जिसके कारण इकाई को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

अतः स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज न्यास अंशदान तथा क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण `1,24,851/- के राजस्व की हानि प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[2] Name of Bank: State Bank of India, A/c Name: District Mineral Foundation Trust, Tehri Garhwal, A/c No: 37316098223

<u>भाग II-'ब'</u>

प्रस्तर 2 : निर्माण कार्य का बीमा न करवाया जाना तथा उच्चाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना `61.20 लाख का व्यय किया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नई टिहरी द्वारा `4,09,30,900/- की लागत से कराये जाने वाले **घंटाकर्ण ग्राम समूह पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय एवं तत्संबन्धित निर्माण कार्य** हेतु श्री जयराज सिंह खंडका, नई टिहरी (ठेकेदार) के साथ दिनांक 03.04.2018 को अनुबन्ध (02/SE/2018-19) गठित किया गया था।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) द्वारा अपने पत्रांक संख्या 62/909/04 दिनांक 04.04.2018 के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि जिन मदों में ठेकेदार की दरें विभागीय दरों से अधिक हैं उन मदों में अनुबन्ध की मात्रा से अधिक कार्य उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना कदापि न किये जायें।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि:-

(i) संबन्धित ठेकेदार/इकाई द्वारा उपरोक्त कार्य का बीमा नहीं करवाया गया था जबकि अनुबन्ध की Clause 13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर, कार्य शुरू होने से Defect Liability Period समाप्त होने तक प्रस्तर संख्या 13.1 में वर्णित मदों के सापेक्ष बीमा कराकर नियोक्ता को उपलब्ध कराया जाना था। अनुबन्ध की शर्त संख्या 13.3 के अनुसार यदि निर्धारित अवधि के भीतर ठेकेदार बीमा करवाकर पॉलिसी एवं प्रमाण पत्र नियोक्ता को उपलब्ध नहीं करवाता है, तो उक्त बीमा नियोक्ता द्वारा स्वयं कराया जाये तथा भुगतान की गई प्रीमियम की धनराशि की ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान से कटौती कर ली जाये।

उपरोक्त कार्य का बीमा न करवाए जाने के कारण संबन्धित ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा उक्त कार्य में कार्यरत मजदूरों के जीवन के अलावा कार्य, सामग्री तथा मशीन इत्यादि को जोखिम पर रखा गया था।

(ii) निम्नलिखित मदों में ठेकेदार की दरें विभागीय दरों से अधिक थीं। पत्रांक संख्या 62/909/04 दिनांक 04.04.2018 में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिये गए निर्देशों के विपरीत उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मदों में अनुबन्ध की मात्रा से `61,19,795/- की धनराशि के अधिक कार्य करवाए गए थे तथा वेरिएशन स्टेटमेंट पर भी अधीक्षण अभियन्ता से स्वीकृति नहीं ली गई थी:-

मद संख्या	Item Description	अधिक कराये गये कार्य की लागत (` में)
03	G.I. (med) 20 mm Ø	4673683
06	G.I. (med) 40 mm Ø	179200
09	G.I. (med) 80 mm Ø	104400
22	Supply of all materials as per IS specifications. Labour, T & P etc to construct Pillar Type Stand Posts complete as per departmental design at point instructed by engineer in charge including carting of materials up to site and curing as per IS specification	172500
28	Providing and carting of Materials and laying R.R. Stone Masonary laid in 1:6 Cement and local sand mortar and curing in protection works including supply of all labour, material, T & P etc complete.	990012
	कुल	**61,19,795**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि त्रुटिवश बीमा नहीं करवाया गया था तथा भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त मदों में विभागीय दरों से अधिक दरों पर अधीक्षण अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति के कार्य करवाए जाने तथा वेरिएशन स्टेटमेंट पर भी अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति न लिए जाने के सम्बंध में इकाई ने बताया कि चूंकि उपरोक्त कार्य अनुबंध के अन्तर्गत वर्णित धनराशि के अन्तर्गत ही पूर्ण हो गये थे जिस कारण त्रुटिवश वेरिएशन स्टेटमेंट पर स्वीकृति नहीं ली गई थी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार न तो ठेकेदार और न ही इकाई द्वारा उपरोक्त कार्य का बीमा करवाया गया था। इकाई द्वारा अधीक्षण अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना उन मदों में अधिक कार्य करवाए गए थे जिनमें ठेकेदार की दरें विभागीय दरों से अधिक थीं। कार्य पूर्ण होने के पश्चात वेरिएशन स्टेटमेंट पर भी अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति नहीं ली गई थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3 : निक्षेप कार्यों पर अवमुक्त धनराशि से अधिक ` 53.59 लाख का अनियमित व्यय।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर-580 के प्रावधान अनुसार किसी निक्षेप कार्य का परिव्यय प्राप्त निक्षेप राशि की सीमा तक सीमित रखा जाना होता है और यदि कुछ व्यायाधिक्य हो भी जाता है तो उसे लेखों में विविध प्रकीर्ण अग्रिम (Misc. P.W. Advances) के रूप में लम्बित वसूली के रूप में दर्शाया जाता है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा (टिहरी गढ़वाल) के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (माह – 02/2021) में पाया गया था कि शाखा द्वारा कुल - 04 निक्षेप कार्यों (अनुलग्नक – I) पर शासन/ ग्राहक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निक्षेप राशि से ` 53.59 लाख का अधिक व्यय किया गया था। इस प्रकार शाखा द्वारा उक्त कार्यों पर ` 53.59 लाख का ऋणात्मक व्यय/व्ययाधिक्य किया गया था जिसके लिए शाखा द्वारा ग्राहक विभाग के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण अग्रिम तक नहीं डाला गया था।

अनियमित व्यय के इस प्रकरण को इंगित किए जाने पर शाखा कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था कि संबन्धित योजनाओं की ग्राहक[3] विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने एवं धनराशि अवमुक्त करने की वचनबद्धता के आधार पर ग्रामवासियों को पेयजल योजनाओं का तुरंत लाभ देने के उद्देश्य से योजनाओं को पूर्ण किया गया था। यह भी कि अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। शाखा का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः निक्षेप कार्यों पर अवमुक्त धनराशि से अधिक किए गए अनियमित व्यय ` 53.59 लाख की वसूली/समायोजन हेतु यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

[3] टी.एच.डी.सी.

अनुलग्नक – I

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	वर्तमान तक कार्य पर व्यय	व्ययाधिक्य
1	विधानसभा - टिहरी के विकास खण्ड – जाखनीधार में फूलन लग्गा	107.760	94.410	102.503	-8.093
2	विधानसभा - प्रतापनगर के विकास खण्ड – प्रतापनगर में रौलाकोट	23.490	6.408	15.104	-8.696
3	विधानसभा - प्रतापनगर के विकास खण्ड – प्रतापनगर में कंगसाली	27.210	1.400	26.543	-25.143
4	विधानसभा - यमनोत्री के विकास खण्ड – चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़	305.680	289.300	300.958	-11.658
	कुल	**464.14**	**391.518**	**445.108**	**-53.59**

भाग – II (ब)

प्रस्तर 4: पेयजल योजना के निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप 2195 परिवारों का स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से वंचित रहना, ` 24.15 लाख के राजस्व की हानि तथा प्राक्कलन में स्वीकृत मदों के अनुसार कार्य संपादित न किए जाने के कारण शासकीय धन ` 64.55 लाख का अवरुद्ध रहना।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डबल्यू.पी.) के अंतर्गत विकासखण्ड धौलाधार की सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु ` 2108.07 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा अगस्त 2016 में प्रदान की गयी थी।उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की 19 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 29 गावों के निवासियों[4] तथा क्षेत्रांतर्गत अस्पतालों, राजकीय संस्थानों एवं विद्यालयों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से लाभान्वित किया जाना था। योजना के स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार, कार्य को 36 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था तथा क्रियान्वयन के पश्चात योजना से लाभान्वित परिवारों से ` 28.97 लाख के राजस्व (जल मूल्य) की प्राप्ति वार्षिक रूप से की जानी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा (टिहरी गढ़वाल) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (माह–02/2021) से ज्ञात हुआ था कि उक्त योजना के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा ठेकेदार "मैसर्स त्रिलोक सिंह रावत, अल्मोड़ा" के साथ ` 1898.92 लाख का अनुबंध संख्या – 01/SE/2017-18 गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि क्रमश: 15.04.2017 एवं 14.10.2018 थी। योजना के स्वीकृत प्राक्कलन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा उक्त कार्य को माह – 04/2020 तक पूर्ण कर क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि योजना को पूर्ण किए जाने की निर्धारित अवधि[5] बीतने के 10 माह पश्चात भी विभाग द्वारा उक्त अनुबंध के सापेक्ष कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा तिथि तक अनुबंध के सापेक्ष कार्य की Testing एवं Commissioning किया जाना तथा क्षेत्रवासियों को जल संयोजन उपलब्ध कराया जाना शेष था। योजना के स्वीकृत प्राक्कलन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य को समय से पूर्ण न किए जाने के कारण जहाँ एक ओर 2195 परिवार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से वंचित थे वहीं दूसरी ओर जल मूल्य की वसूली के रूप में ` 24.15 लाख[6] के राजस्व की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया था कि उक्त अनुबंध के सापेक्ष सिविल कार्य पूर्ण कर वर्तमान में योजना की Testing का कार्य प्रगति में था तथा माह – मई 2021 तक Testing कार्य पूर्ण कर सभी परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।

---

[4] वर्ष 2016 एवं 2036 तक क्रमश: 2195 एवं 3359 परिवारों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जाना था।

[5] 36 माह (माह – 04/2017 से 04/2020)

[6] राजस्व की हानि – 2195 परिवार x 10 माह x रुपये 110.00/परिवार/प्रतिमाह = 2414500.00

यह भी कि कार्यस्थल पर क्षेत्रीय जनता द्वारा की गयी रुकवटों एवं वन भूमि तथा अन्य वांछित भूमि के प्राप्त होने में देरी के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ था।

कार्य विलम्ब से पूर्ण किए जाने के संबंध में विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त योजना के अंतर्गत सभी कार्य 36 माह के भीतर पूर्ण किए जाने थे। यह भी कि शाखा द्वारा कार्यस्थल पर कार्य को क्षेत्रीय जनता द्वारा रोके जाने के संबंध में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा उक्त अनुबंध के सापेक्ष विभाग द्वारा ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु नौ माह (दिनाँक – 14.07.2019 तक) की समयवृद्धि प्रदान किए जाने के उपरान्त भी आतिथि तक क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकी थी।

आगे जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा योजना के प्राक्कलन में जल संयोजनों के लिए Water Meter की आपूर्ति हेतु प्रविधान कर शासन से ` 64.55 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। नियमानुसार विभाग द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कार्य के सम्पादन हेतु गठित अनुबंध में जल संयोजनों के लिए Water Meter की आपूर्ति हेतु प्रविधान किया जाना चाहिए था। परंतु योजना के सम्पादन हेतु गठित अनुबंध की जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा Water Meter की आपूर्ति हेतु अनुबंध में कोई भी प्रविधान नहीं किया गया था जिससे स्पष्ट था कि विभाग द्वारा उक्त मद को प्राक्कलन में सम्मिलित कर ` 64.55 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर शासकीय धन को अवरुद्ध किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि प्राक्कलन विरचन के समय SWAP कार्यक्रम प्रचलित था परंतु पहाड़ी स्थान पर एकीकृत जनसंख्या न होने के कारण Water Meter व्यवस्था सफल नहीं हो पायी, अत: अनुबंध गठित करते समय Water Meter नहीं लिए गए।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त योजना के प्राक्कलन का गठन विभाग द्वारा ही किया गया था। यदि विभाग को "पहाड़ी स्थान पर एकीकृत जनसंख्या न होने के कारण Water Meter व्यवस्था सफल नहीं हो पाने" के संबंध में पूर्व में ही जानकारी थी तो विभाग द्वारा उक्त मद को प्राक्कलन में सम्मिलित ही नहीं किया जाना चाहिए था।

अत: पेयजल योजना के निर्माण में देरी के कारण 2195 परिवारों का स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से वंचित रहना, ` 24.15 लाख के राजस्व की हानि तथा प्राक्कलन में स्वीकृत मदों के अनुसार कार्य संपादित न किए जाने के कारण शासकीय धन ` 64.55 लाख के अवरुद्ध रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर-5 नियमों की अनदेखी, विभागीय शिथिलता तथा त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप अपूर्ण निर्माण कार्य तथा राजस्व की हानि ₹149.46 लाख।

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 616/2014 से संबन्धित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत जनपद टिहरी विकास खंड चम्बा, जौनपुर एवं थौलपुर की चम्बा-मसूरी फलपट्टी सुरकंडा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना (बहुल ग्राम) की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा मई 2015 में प्रदान की गई थी। प्राक्कलन की टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 4615.72 लाख की धनराशि में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 10 प्रतिशत कटौती किए जाने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया जिस के अनुसार प्रत्येक प्रस्तावित संरचना में कटौती कर संशोधित लागत 4154.08 लाख निर्धारित की गई। उक्त के अतिरिक्त योजना 20 वर्ष हेतु डिज़ाइन की गई थी जिसमे आधार वर्ष (Base Year) 2016 में लाभान्वित बस्तियों की जनसंख्या 18871 तथा संभावित वार्षिक आय (राजस्व) ₹ 49.82 लाख प्रतिवर्ष अनुमानित थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा की लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि प्राक्कलन में 03 pump Houses, 06 sump, 38 service reservoirs, raw water rising main, clear water rising main तथा उक्त के बिछान हेतु 08 कि.मी. लंबाई में अश्व पथ (पहुँच मार्ग), वितरण प्रणाली का कार्य, staff quarters का निर्माण आदि कार्य प्रावधानित किए गए थे। वितरण प्रणाली कार्य को छोड़ कर शेष कार्य के निष्पादन हेतु मार्च 2016 में ₹ 2266.35 लाख का अनुबंध[7] गठित किया गया जिस के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ मार्च 2016 तथा कार्य समाप्ति सितम्बर 2017 में निर्धारित थी। वितरण प्रणाली हेतु मार्च 2019 में ₹ 1019.51 लाख का एक अन्य अनुबंध[8] गठित किया गया। उक्त कार्य हेतु योजना में 20 एम.एम. से 125 एम.एम. व्यास तक 240.90 कि.मी. जी.आई. पाइप लाइन जोड़ने, बिछाने एवं तटसंबंधी कार्य प्रावधानित किए गए थे।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नवर्णित अनियमितताएँ प्रकाश में आईं:

1) अनुबंध, भुगतान देयकों व माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि कोई भी कार्य मद पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं हुआ था। इस के अतिरिक्त कई कार्य मदों की अनुबंधित मात्रा की तुलना में निष्पादित मात्रा में आवश्यकता से अधिक विचलन प्रदर्शित हुआ ***(विवरण संलग्न)*** जबकि पेयजल योजनाओं के अंतर्गत विशेषकर पाइपों की माप का निर्धारण सर्वेक्षण कार्य के बाद ही किया जाता है जिस में विचलन की संभावना नगण्य होती है।

---

[7] 02/SE/15-16

[8] 10/SE/18-19

2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों के अंतर्गत वन विभाग की अनुमति के बिना किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि वर्णित योजना हेतु वन विभाग के अंतर्गत 1.42 है॰ वन भूमि होने के कारण कार्य निष्पादन बाधित रहा। उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु निगम को लीज़ पर प्रत्यावर्तन की स्वीकृति मई 2019 में प्राप्त हुई। इस से पूर्व ही अनुबंध गठन की कारवाई की गई थी तथा लेखापरीक्षा सम्पादित किए जाने तक कार्य अपूर्ण था।

3) अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ की तिथि से दोष दायित्व अवधि (Defects Liability period) के अंत तक कार्य व यंत्र संयंत्र की क्षति, उपकरणों की क्षति तथा व्यक्तिगत चोट अथवा मृत्यु आदि घटनाओं से सुरक्षा हेतु कार्य का बीमा किया जाना था तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा ठेकेदार के व्यय पर बीमा संबंधी कारवाई की जानी थी। योजना का बीमा सभी वर्णित घटनाओं की सुरक्षा हेतु न करके मात्र कामदारों की क्षतिपूर्ति हेतु किया गया था तथा कार्य अपूर्ण रहने के फलस्वरूप उपलब्ध कराए गए बीमा संबन्धित अभिलखों के अनुसार जुलाई 2020 के बाद बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं किया गया था।
योजना संबंधी अनुबंधों के अंतर्गत कार्य निष्पादन सितम्बर 2017 में पूर्ण हो जाना चाहिए था जो विभागीय शिथिलता, नियमों की अनदेखी तथा त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण अपूर्ण रहा तथा योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई।
योजना हेतु प्राक्कलन वर्ष 2013-14 में गठित किया गया था। सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने में पहले ही काफी विलम्ब हुआ था। इस के उपरांत अनुबंध गठित कर सितम्बर 2017 तक कार्य पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था परंतु लेखापरीक्षा सम्पादन के समय तक योजना अपूर्ण थी तथा दोनों अनुबंधों के अंतर्गत कार्य की प्रगति मात्र 82 प्रतिशत थी। इस के अतिरिक्त विगत तीन वर्षों में, आधार वर्ष 2016 की संभावित आय ₹ 49.82 लाख प्रति वर्ष के अनुसार, ₹ 149.46 लाख के राजस्व की हानि हुई।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि स्थानीय विवाद के कारण संरेखण में कई स्थानों पर बदलाव किया गया जिस कारण कार्यों में विचलन हुआ तथा योजना शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से वनभूमि संबंधी स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्वीकृति से पूर्व प्रारम्भ किया गया। उत्तर में आगे बताया गया कि बीमे के नवीनीकरण हेतु शीघ्र ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा तथा भविष्य में अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी घटनाओं की सुरक्षा हेतु बीमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः विभागीय शिथिलता, नियमों की अनदेखी तथा त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण कार्य अपूर्ण रहा तथा विगत तीन वर्षों में ` 149.46 लाख के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

मदवार कार्य की प्रगति का विवरण

S. No.	Description of work	Unit	As per CB	Up to date progress (in percentage)
1	Construction of dry Intake Well	No	1	70
2	Construction of 4.5 mld Water Treatment Plant	No	1	35
3	Rising main	M	32000	91
4	Sluice Gate Valve/Reflux/air valve/scour valve	No	34	82
5	20 mm dia double orifice type	No	32	0
6	Gate valve/air valve/wheel valve chambers	No	115	30
7	Anchor Block	Cum	280	9
8	Fixing of wheel valve	No	49	31
9	Automatic solution feeder	No	2	0
10	Service water reservoir	Cum	44	80
11	Staff Quarters	No	11	27
12	Boundary Wall	Mtr	500	0
13	R R Stone masonry 1:6	Cum	2000	53
14	R R Stone masonry laid dry	Cum	1200	2
15	RCC 1.1.5.3	Cum	50	38
16	S/F Iron Gate	No	6	0
17	Const. of bridle path	Mtr	7000	62

भाग-II (ब)

प्रस्तर 6: अधिकारियों/कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा रु. 142325/- (4 प्रतिशत) का कम अंशदान किया जाना एवं उस पर देय लाभ से वंचित रखा जाना।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी, में 01.10.2005 से समस्त नई भर्तियों पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 41 दिनांक 31.01.2019 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान दिनांक 01 अप्रैल 2019 से वेतन और महगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।

उक्त के तर्ज पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 169/42/XXVII(10)/2018/2019 के बिन्दु संख्या-4 द्वारा निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 में की गयी व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत वेतन और महगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था/ निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जायेगा।

इकाई में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के अंशदान तथा नियोक्ता द्वारा दिये गए अंशदान से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नियोक्ता अंशदान के रूप में निम्नानुसार रु. **142325/-** (अप्रैल-19 से दिसम्बर-20 तक) कम धनराशि उनके PRAN के सापेक्ष जमा करायी गई है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम	नियोक्ता का अंशदान (` में)		
		जो दिया जाना था (@14%)	जो दिया गया (@10%)	अन्तर
1.	श्री रविन्द्र विष्ट (सहा0 अभियन्ता)	58230.90	41593.50	16637.40
2.	श्री नवल नौटियाल (अ0सहा0अभियन्ता)	61396.44	43854.60	17541.84
3.	श्री के0के0 कण्डवाल (क0अभियन्ता)	167698.00	119784.30	47913.72

4.	श्री गुरुप्रसाद सेमवाल (क0 सहायक)	100255.30	71610.90	28644.36
5.	श्री सुमन लाल भट्ट (चपरासी)	74683.56	53345.40	21338.16
6.	श्री संतोष पंवार (प्रधान सहायक)	35872.20	25623.00	10249.20
	कुल	**498136.4**	**355811.7**	**142324.68**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा अप्रैल 2019 से वर्तमान तक 14 प्रतिशत का अंशदान न देकर 10 प्रतिशत ही दिया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को संस्था से मिलने वाले 4 प्रतिशत के अतिरिक्त अंशदान एवं उस पर देय लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि इस संबंध में विभाग से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुये है, दिशा निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

शाखा का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा 12 जून 2019 में ही दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है कि नियोक्ता द्वारा अप्रैल 2019 से 14 प्रतिशत का अंशदान किया जायेगा।

अतः अधिकारियों/कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा रु. 142325/- का कम अंशदान किये जाने एवं उस पर देय लाभ से वंचित रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या
26/2006-07	शून्य	01, 03 & 04
02/2008-09	01,02	02,03 & 05
05/2011-12	01,02,03	02(क)
110/2015-16	शून्य	01 & 02
139/2019-20	शून्य	02,03,04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके कारण उपरोक्त समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	ई. आलोक कुमार	अधिशासी अभियन्ता	01.04.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/18 दिनांकित 06.02.2021 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाय ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (N-PSU)